

दिनांक 03.11.2022

पत्रावली पेश हुयी। वाद पुकारा गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार व न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार के न्यायालय से आख्या प्राप्त नहीं है। पुनः आख्या मंगवाई जाये। पत्रावली वास्ते सुनवाई **दिनांक 05.11.2022** को पेश हो।

रवि प्रकाश
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पौड़ी गढ़वाल।